न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 23/2018 नामान्तरकरण अपील

1. राधेश्याम उर्फ राधे पुत्र कजोडमल
2. कैलाश पुत्र कजोडमल
3. रामधन पुत्र गेंदा

जति महाजन निवासी सोनड तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. तनवीर खां पुत्र बाबू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा हाल निवासी नागौरी मोहल्ला दौसा जिला दौसा
2. तहसीलदार रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 175 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 20.07.2018 जो नामान्तरकरण सं. 697 पर पारित किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :– 1. श्री बृजमोहन गौड अधिवक्ता अपीलान्ट्स ।
2. श्री सतीश पारीक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 ।

–:निर्णय:–

दिनांकः 16.01.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 तनवीर खां ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के समक्ष दावा उद्घोषणा, दुरस्ती इन्द्राज व अस्थाई निषेधाज्ञा का किया था कि स्व. कजोडमल व स्व. रामस्वरूप पि. मांग्या व रामधन पुत्र गेंदा जाति महाजन निवासी सोनड का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि से हटाकर उसका नाम दर्ज किया जावे। उक्त दावा सं. 115/2013 में दिनांक 13.07.2018 को तनवीर खां के पक्ष में डिक्री पारित कर दी गई। इस डिक्री के खिलाफ अपीलान्ट ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में अपील दिनांक 19.07.2018 को पेश कर दी। अपीलान्ट ने उक्त अपील की सूचना तहसीलदार रामगढ पचवारा व पटवारी हल्का को लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर दे दी। इसके बावजूद भी दिनांक 20.07.2018 को तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा नामान्तरकरण सं. 697 तस्दीक कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि निर्णय व डिक्री हो जाने के पश्चात भी पीडित पक्षकार को अपील पेश करने का न्यायोचित अधिकार हैं और अपील पेश करते ही अपीलाधीन आदेश तब तक फाइनल नही माना जा सकता जब तक की अपील का निर्णय नही होवे। न्यायोचित प्रावधान यह है कि अपील पेश करने की अवधि तक आदेश व डिक्री की पालना नही की

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

जावे। दिनांक 13.07.2018 के आदेश की अपील करने की मियाद 60 दिन निर्धारित है। जो 19.09.2018 को समाप्त होती है। किन्तु तहसीलदार रामगढ पचवारा ने दिनांक 20.07.2018 को ही प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। तहसीलदार द्वारा इस प्रकार जल्दबाजी में पारित यह नामान्तरकरण न्याय व नियम विरूद्ध एंव संदेहास्पद है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 13.07.2018 की अपील वर्तमान में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में विचाराधीन है। जिसमें अपील के निर्णय तक उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 13.07.2018 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने तथा विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। अतः तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.07.2018 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 697 दिनांक 20.07.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के निर्णय एवं डिक्री की पालना में तस्दीक किया गया है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में की जा चुकी है। उक्त अपीलेट न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर निर्णयानुसार स्वतः ही कार्यवाही सम्पादित हो जावेगी। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की पालना में खोले गये नामान्तरकरण की अपील इस न्यायालय में किये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 697 दिनांक 20.07.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2018 की पालना में तस्दीक किया गया है। जिसके विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में अपील पेश की जा चुकी हैं तथा अपीलेट न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को इस न्यायालय में चलाये जाने का औचित्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा नामान्तरकरण सं. 697 दिनांक 20.07.2018 ग्राम जगनेर तुर्कान के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। साथ ही तहसीलदार रामगढ पचवारा को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में अपीलेट न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में विचाराधीन अपील के सम्बन्ध में जानकारी कर अपील में पारित निर्णय/निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा